**बिहार सरकार**
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**
**(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)**

संख्याः 01/भू0अ0नि0(6) भाड़े का वाहन(योजना)–11/2021............... **पटना, दिनांकः**

# आदेश

केन्द्र प्रायोजित योजना DIGITAL INDIA LAND RECORDS MODERNIZATION PROGRAMME (DILRMP) के अन्तर्गत भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं राज्य में चल रहे विशेष भू–सर्वेक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यो की प्रगति, समीक्षा एवं बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष सर्वे हेतु गठित शिविरों में संचालित कार्यो तथा क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्रीय भ्रमण एवं अनुश्रवण आदि कार्यो के लिए मासिक एवं दैनिक आधार पर भाड़े का वाहन रखने हेतु निदेशालय द्वारा प्रकाशित निविदा संख्या–01/2021–22 के आलोक में प्राप्त निविदा पर सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 23.06.2021 आयोजित त्रि–सदस्यीय क्रय समिति की बैठक की कार्यवाही में लिए गए निर्णय के आलोक राजन टूर एवं ट्रेवलर्स, 75, कवि रमन पथ, नागेश्वर कालॉनी, बोरिंग रोड, पटना द्वारा प्रतिवेदन निम्नवत् न्यूनतम दर के आधार पर मासिक एवं दैनिक के लिए भाड़े पर परिचालन की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

| क्र0 सं0 | वाहन का नाम (ए0सी0) | मासिक दर | | दैनिक दर | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रतिमाह ईधन सहित न्यूनतम दर | 1800 कि0मी0 से अतिरिक्त चलने पर प्रति कि0मी0 न्यूनतम दर | ईंधन सहित दर प्रति कि0मी0 | न्यूनतम चार्जेबूल कि0मी0 प्रतिदिन | प्रतिदिन कुल न्यूनतम देय राशि (5X6) | नाईट हॉल्ट चार्ज |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ईनोवा क्रिस्टा | 62535.00 | 12 | 16.45 | 200 | 3290 | 250 |
| 2 | स्कॉर्पियो/टवेरा | 51535.00 | 11 | 13.45 | 200 | 2690 | 200 |
| 3 | डिजायर | 41535.00 | 10 | 11.55 | 200 | 2310 | 200 |

**नियम एवं शर्तें**

1. वाहन उपयोग हेतु 24X7 भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के नियंत्रण में होगा।
2. वाहन का चालक नियमित रूप से एक ही व्यक्ति होगा। बदल–बदलकर व्यक्ति चालक के रूप में मान्य नहीं होगा। वाहन चालक को ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड का अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा, ताकि चालक का सत्यापन कराया जाएगा।
3. वाहन का कागजात/टैक्स/बीमा आदि मोटरयान अधिनियम के अनुसार अद्यतन होना चाहिये। संबंधित कर एवं शुल्क की आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक/स्वामी की होगी। इसके अतिरिक्त टॉल टैक्स की राशि देय नहीं होगी।
4. यह आदेश किराये पर वाहन लेने की तिथि से अगले एक वर्ष तक के लिए मान्य होगा। सेवा संतोषजनक होने पर एकरारनामा की अवधि विस्तार की जा सकेगी, तथा इसे कभी भी बिना कोई कारण बताए पाँच दिन का नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है।
5. वाहन का मासिक किराया के अतिरिक्त कोई भी कर या शुल्क देय नहीं होगा। नियमानुसार अनुमान्य TDS को कटौती की जाएगी।
6. वाहन की मरम्मति आदि का खर्च, कर देयताएँ तथा चालक के पारिश्रमिकी भुगतान करने का व्यय आपूर्तिकर्त्ता को ही वहन करना होगा।

कृ0पृ0उ0

7. वित्त विभाग के पत्रांक 15698 / वि0(2) दिनांक 06.11.2012 के आलोक में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 से दर न्यूनतम रहने के कारण वाहन प्राईवेट एजेंसी से वाहन लिया गया है।
8. वाहन उपलब्ध कराने वाले एजेंसी द्वारा Security Money के रूप में 20,000 / – (बीस हजार) रूपया जमा निविदा के साथ जो जमा किया गया है, वह सुरक्षित धन के रूप में निदेशालय में एकरारनामा अवधि तक संधारित रहेगा।
9. एजेंसी द्वारा आपूर्ति किए गए वाहन में खराबी होने पर तुरन्त दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर जितने दिन वाहन खराबी अथवा चालक की अनुपस्थिति के कारण वाहन उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा उतने दिन के लिए अनुपातिक भाड़े का भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता होने पर वाहन की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
11 वाहन आपूर्तिकर्त्ता से एक समय में आवश्यकतानुसार अधियाचित वाहन के अतिरिक्त निर्धारित दर पर वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जा सकता है, जिसे वाहन आपूर्तिकर्त्ता को तत्काल / अविलम्ब वाहन आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12. मासिक अथवा दैनिक आधार पर चयनित वाहन मॉडलों के इतर अन्य वाहन की आपूर्ति की जाती है, तो उपर्युक्त चयनित वाहनों में से न्यूनतम दर वाले वाहन का दर मानते हुए उसमें से भी 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए भुगतान किया जायेगा।
13. वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उपरोक्त दिये गए सभी शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

ह0 / –
**सहायक निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक:** 01 / भू0अ0नि0(6) भाड़े का वाहन(योजना)–11 / 2021................ **पटना, दिनांक:**

**प्रतिलिपि :** मे0 राजन टूर एवं ट्रेवलर्स, 75, कवि रमन पथ, नागेश्वर कालॉनी, बोरिंग रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 07 (07) दिनों के अन्दर वर्णित शर्तों के स्वीकार्य होने की स्थिति में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए एकरारनामा करना सुनिश्चित किया जाय।

ह0 / –
**सहायक निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक:** 01 / भू0अ0नि0(6) भाड़े का वाहन(योजना)–11 / 2021................ **पटना, दिनांक:**

**प्रतिलिपि :** सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
**सहायक निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक:** 01 / भू0अ0नि0(6) भाड़े का वाहन(योजना)–11 / 2021..1832.... **पटना, दिनांक:** 29-06-2021

**प्रतिलिपि :** श्रीमति सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को निदेशालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**सहायक निदेशक**
भू–अभिलेख एवं परिमाप